# कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना बम्हनीडीह

जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

## :: विज्ञापन ::

क्र0/ 1391 /बाविपरि/स्था./नियुक्ति/2026–27 बम्हनीडीह, दिनांक 23 /11/2026

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आंगनबाड़ी सारागांव केंन्द्र क्रमांक 04 के लिए आं.बा. कार्यकर्ता के पद रिक्त होने के कारण नियुक्ति करने हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। इस हेतु दिनांक 24/11/26 से 10/12/26 तक ऑनलाईन लिंक **https://aww.e-bharti.in** मे जाकर अनिवार्य दस्तावेजों की फाइल डाउनलोड करते हुए आवेदन कर सकतें है। नियत समय के बाद प्राप्त आवेदन पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जायेगा। साथ ही आवेदन के समय अनिवार्य दस्तावेजों की फाइल अपलोड न करने की स्थिति में आवेदन स्वीकृत नही किये जायेगें।

| क्र. | केंन्द्र का नाम | ग्राम पंचायत/वार्ड तथा नगरीय निकाय का नाम | पद का नाम | रिक्त पद की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सारागांव 04 | छोटे गौटिया चौक वार्ड 14 | आंगनबाडी कार्यकर्ता | 1 |

आवेदन किये जाने हेतु निम्नानुसार आर्हताएं है :–

1. आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए । (एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को आयु सीमा में 3 वर्ष की छुट दी जावेगी )
2. आवेदिका उसी वार्ड की स्थायी निवासी होना चाहिए, जिस वार्ड में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है ।
3. जिस ग्राम में आंगनबाडी केन्द्र खोला जाना है प्रस्तावित है या जहॉ पद रिक्त है आवेदिका उसी ग्राम की एवं नगरीय क्षेत्र के लिए उसी वार्ड की स्थानीय निवासी होना चाहिए । आवेदन पत्र के साथ निवास के संबंध में निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज संलग्न किया जावेगा ।
   निवासी होने के प्रमाण पत्र में .....

(क) उस ग्राम/नगरीय क्षेत्र की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जावे ।

(ख) संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित अथवा पटवारी तथा नगरीय निकायों में की जाने वाली नियुक्ति में वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र जिसमें वार्ड एवं ग्राम में निवासरत रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो ।

टीपः– यदि किसी आवेदक के निवास के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस आवेदक के निवास के सत्यापन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास सबंधी प्रमाण–पत्र ही मान्य किया जावेगा ।

4. आवेदिका की न्युनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिए ।

| | |
|---|---|
| आगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु | 12 वी अथवा 11 वी बोर्ड उत्तीर्ण (पूर्ववर्ती) |
| आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु | 8 वी बोर्ड उत्तीर्ण |

टीप:– उपरोक्तानुसार शहरी/ग्रामीण/आदिवासी परियोजना में कोई आवेदिका न मिलने पर कार्यकर्ता पद हेतु शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर उस केंद्र हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रावधान 10 वीं बोर्ड रखी जावेगी । एवं इसके उपरांत भी कोई आवेदिका न मिलने पर 8 वीं उत्तीर्ण रखी जावेगी । यदि 8वीं उत्तीर्ण अवेदिका नही मिलती है तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रावधान शिथिल मान कर 5वीं उत्तीर्ण रखी जाऐगी ।

आंबा. सहायिका पद में भी उपरोक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता वाली आवेदिका न मिलने पर शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रावधान शिथिल कर कम शैक्षणिक योग्यता के आवेदन पर भी विचार किया जावेगा ।

5. अनुभवी कार्यकर्ता/सहायिका/सह सहायिका होने पर गरीबी रेखा परिवार, अनुसूचित जाति, जनजाति परिवार की महिला होने पर , अनुसूचित जाति, जनजाति विभाग द्वारा संचालीत कन्या आश्रम में 8वीं तक अध्ययन करने पर तथा विधवा ,परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर अतिरिक्त अंक दिये जायेगें।
   (क)– आवेदिका विधवा महिला होने की स्थिती में मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
   (ख)– परित्यक्ता महिला के संबंध मे दो वर्ष से अधिक की अवधि को ही मान्य किया जाऐगा। आवेदिका परित्यक्ता होने की स्थिती मे संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र एवं नगर निगम / नगर पालिक क्षेत्र मे वार्ड के पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र तथा नगर पंचायत क्षेत्र होने पर नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण पत्र अथवा न्यायालय द्वारा जारी तत्संबंधी आदेश संलग्न करना होगा ।
   (ग)– तलाक शुदा महिला होने के संबंध में न्यायालयीन आदेश की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
   (घ)– यदि शासन से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता/ पेंशन प्राप्त की जा रही हो तो उसका प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जा सकता है।
6. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किये जायेगे। अस्थायी जाति प्रमाण पत्र होने की स्थिति में जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि समाप्त न हुई हो।
7. यदि आवेदिका गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सदस्य हो तो (प्रभावशील गरीबी रेखा सूंची में) उसे सक्षम अधिकारी द्वारा (ग्रामीण क्षेत्र हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं नगरीय क्षेत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र) जिसमें गरीबी रेखा क्र. एवं वर्ष का स्पष्ट उल्लेख हो संलग्न करना होगा।
8. आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज अपलोड करने के पूर्व अभिप्रमाणित होना चाहिये।
9. जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु 8वीं एवं 10वीं की अंक सूची संलग्न करें।
10. चयन के किसी भी स्तर में प्रमाण पत्र/दस्तावेज/अभिलेख यदि असत्य पाया जाता है तो विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी जिसकी संपूर्ण जवाबदारी आवेदिका की होगी।
11. निर्धारित अंतिम तिथि 10/12/26 के उपरांत आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेंगे।

उपरोक्तनुसार अर्हता रखने वाले इच्छुक आवेदिका रिक्त पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं का पद पूर्णतः मानसेवी तथा अशासकीय पद है । इन्हे केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जावेगा ।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
बम्हनीडीह, जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

पृ0क्र0/1392/बाविपरि/स्था./नियुक्ति/2026 –27 बम्हनीडीह, दिनांक 23/11/2026

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर, जिला–जांजगीर चाम्पा की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेशित।
2. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला–जांजगीर चांपा (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ प्रेशित।
3. अनुविभागीय अधिकारी (रा) चाम्पा सादर सूचनार्थ।
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत सारागांव जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित । कृपया ज्ञापन को सूचना पटल में चस्पा करवाने तथा तत्संबंध में मुनादी भी करवाने का कष्ट करें।
5. पर्यवेक्षक सेक्टर सारागांव की ओर सूचनार्थ । आप उक्त रिक्त केन्द्रों हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु अधीनस्थ सहायिका के माध्यम से ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/नगर पंचायतों को सूचित करते हुए उनके सूचना पटल में चस्पा करवायें तथा कोटवार के माध्यम से मुनादी करवाये यह समस्त कार्यवाही पूर्णकर प्रमाणित जानकारी इस कार्यालय में 05 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें ।
6. वार्ड पार्षद ..... वार्ड नगर पंचायत सारागांव जिला –जांजगीर चाम्पा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित। कृपया ज्ञापन को सूचना पटल में चस्पा करवाने का कष्ट करें एवं संबंधित वार्ड में मुनादी के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराने का कश्ट करें।
7. नियुक्ति शाखा प्रभारी /लिपिक सभी आंबा. केंद्रों के मुनादी प्रमाण पत्र एवं पावतीयां संकलित करे तथा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त करने पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. सहायक संचालक जनसम्पर्क जिला जांजगीर चाम्पा को लेख है कि कृपया उक्त विज्ञापन का प्रकाशन सभी दैनिक सामाचार पत्रों में कराने का कष्ट करेगें ।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
बम्हनीडीह, जांजगीर–चांपा (छ.ग.)